REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052025-262798 CG-DL-E-01052025-262798

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2025/ वैशाख 9, 1947 No. 230] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2025/ VAISAKHA 9, 1947

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल , 2025

सा.का.नि. 269(अ).—केंद्रीय सरकार केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप, जिसे मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, इसके उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

इन नियमों के प्रति आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, अपर सचिव (परिवहन), ईमेल: commentsmorth@gov.in सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।

## प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ... .. संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय, ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

 केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) के नियम 115ए में, विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"115ए. अंतः दहन इंजन द्वारा संचालित कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहनों और संयुक्त हार्वेस्टरों से धुम्र और वाष्प का उत्सर्जन।

3. उक्त नियमों में, नियम 115क के उपनियम (9) के खण्ड (ग) में, विद्यमान तालिका 1 के स्थान पर निम्नलिखित तालिका 1 प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

	तालिका 1						
		•	आरईएम चरण				
गैर-रोड स्थिर चक्र	(एनआरएससी)	और गैर-रोड	ऽ क्षणिक चक्र	(एनआरटीसी)	परीक्षण चक्र वे	के लिए लागू उत्सर्जन	
			सीमा।				
	् सीओ <sup>(1)</sup> एचसी <sup>(1)</sup> एनओएक्स पीएम <sup>(1)</sup> परीक्षण चक्र <sup>*</sup>						
श्रेणी, किलोवाट	कब से लागू		ग्राम/कि	लोवाट घंटा			
37≤पी<56	4	5.0	4.7(एचसी	+एनओएक्स)	0.025(2)		
56≤पी<130	1 जनवरी 2023	5.0         0.19         0.4         0.025         एनआरएससी और           0.10         0.4         0.025         एनआरटीसी					
130≤पी<560	2023	3.5	0.19	0.4	0.025	एगजारटासा	

\*परीक्षण चक्र जैसा कि एआईएस-137 में वर्णित है और समय-समय पर संशोधित किया गया है।

<sup>(1)</sup>हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन के लिए लागू नहीं। ऐसे इंजनों के मामले में जहां एचसी+एनओएक्स सीमाएँ निर्दिष्ट हैं, हाइड्रोजन आईसी इंजनों के लिए, सीमा केवल एनओएक्स उत्सर्जन पर होगी।

(2) केवल सीआई इंजनों के लिए लागू

4. उक्त नियमों में, नियम 115क के उपनियम (9) के खण्ड (ग) में, विद्यमान तालिका 2 के स्थान पर निम्नलिखित तालिका 2 प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

	तालिका 2 (टीआरईएम चरण – V)						
ौर-रोड स्थिर <sup>न</sup>	वक्र (एनआ	रएससी) अं				गरीक्षण चक्र के	लिए लागू उत्सर्जन
				सीमा।			
	कब से लाग	सीओ <sup>(1)</sup>	एचसी <sup>(1)</sup>	एनओएक्स	पीएम <sup>(1)</sup>	पीएन <sup>(1)</sup>	परीक्षण चक्र
श्रेणी, किलोवाट	लागू	ग्राम/किल्	। नोवाट घंटा			#/किलोवाट घंटा	
पी<8		8.0		(एचसी+ ओएक्स)	0.4(2)		एनआरएससी
8≤पी <19		6.6	7.5(एचर्स	)+एनओएक्स)	0.4(2)		
19≤पी< 37	1 अप्रैल	5.0	4.7(एचर्स	ो+एनओएक्स)	0.015(2)	1x10 <sup>12 (2)</sup>	
37≤पी<56	2026	5.0	4.7(एचर्स	4.7(एचसी+एनओएक्स) 0.015 <sup>(2)</sup>			एनआरएससी और
56≤पी<130		5.0	0.19 0.4 0.015			1x10 <sup>12</sup>	एनआरटीसी
130≤पी<560		3.5	0.19 0.4 0.015			1x10 <sup>12</sup>	
पी≥560		3.5	0.19	3.5	0.045		एनआरएससी

<sup>(1)</sup>हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन के लिए लागू नहीं। ऐसे इंजनों के मामले में जहां एचसी+एनओएक्स सीमाएँ निर्दिष्ट हैं, हाइड्रोजन आईसी इंजनों के लिए, सीमा केवल एनओएक्स उत्सर्जन पर होगी। <sup>(2)</sup>केवल सीआई इंजनों के लिए लागू

- 5. उक्त नियमों में, नियम 115ए के उपनियम (9) के खंड (ग) में, विद्यमान नोट (v) के स्थान पर निम्नलिखित पाठ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
  - "(v) एआईएस137 में निर्धारित और समय-समय पर संशोधित प्रक्रिया के अनुसार छह गति के पूर्ण लोड पर इंजन डायनेमोमीटर पर परीक्षण किए जाने पर पीआई इंजनों के अलावा अन्य इंजनों के लिए दृश्यमान प्रदूषक (धुम्र) का उत्सर्जन, नियम 115 के उप-नियम (9) के अनुलग्नक-I में दिए गए प्रकाश अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त किए जाने पर धुम्र घनत्व के सीमा मान से अधिक नहीं होना चाहिए।"
- 6. उक्त नियमों में, नियम 115ए के उपनियम (9) के खंड (ग) में, विद्यमान नोट (x) के स्थान पर निम्नलिखित पाठ प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
  - "(x) तालिका 1 और 2 में उल्लिखित सीमाएं निम्नलिखित ईंधनों से चलने वाले इंजनों पर लागू होंगी: सीएनजी, बायो-सीएनजी, बायो-गैस, एलएनजी, एलपीजी, एचसीएनजी, डीजल (बी7), इथेनॉल (ईडी95), 100% तक बायो-डीजल मिश्रण, डीजल और सीएनजी, बायो-सीएनजी या एलएनजी से बने किसी भी ईंधन से चलने वाले हाइड्रोजन और दोहरे ईंधन वाले इंजन।

उत्पादन के नमूने (टाइप) के अनुमोदन और अनुरूपता के लिए, परीक्षण ईंधन, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है, रेफरन्स फ्यूल या वाणिज्यिक ईंधन होगा;

- क) प्राकृतिक गैस या बायो-मीथेन एकल-ईंधन या दोहरे ईंधन वाले वाहनों में प्रयुक्त रेफरन्स प्राकृतिक गैस फ्यूल अनुलग्नक IV-एल (जी20, जी23 और जी25) के अनुसार होगा।
- ख) एलपीजी एकल-ईंधन या दोहरे ईंधन वाले वाहनों में प्रयुक्त रेफरन्स एलपीजी फ्यूल अनुलग्नक IV-एम (ईंधन ए और ईंधन बी) के अनुसार होगा।
- ग) तथापि, सीएनजी/एलपीजी के लिए रेफरन्स फ्यूल की अनुपलब्धता के मामले में, बीआईएस 15958: 2012 के अनुसार और समय-समय पर संशोधित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सीएनजी और बीआईएस 14861: 2000 के अनुसार और समय-समय पर संशोधित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध एलपीजी का उपयोग नमूने के अनुमोदन और उत्पादन अनुरूपता के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
- घ) रेफरन्स इथेनॉल फ्यूल (ईडी95) अनुलग्नक IV-आर में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
- ङ) रेफरन्स डीजल फ्यूल (बी7) या वाणिज्यिक डीजल ईंधन क्रमशः अनुलग्नक IV-टी या अनुलग्नक IV-V में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
- च) रेफरन्स फ्यूल बायोगैस (बायो-मीथेन) समय-समय पर संशोधित आईएस 16087:2013 के अनुसार होगा।
- छ) एलएनजी के मामले में, ईंधन अनुलग्नक IV-एलए में दी गई अपेक्षाओं के अनुरुप होगा।
- ज) 7% तक बायोडीजल मिश्रण से चलने वाले वाहन/इंजन का परीक्षण रेफरन्स डीजल (बी7) या वाणिज्यिक ईंधन से किया जाएगा। 7% से अधिक बायोडीजल मिश्रण से चलने वाले वाहनों का परीक्षण संबंधित मिश्रणों से किया जाएगा। मिश्रणों में प्रयुक्त बायोडीजल समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 15607 के अनुसार होगा और मिश्रणों के लिए प्रयुक्त डीजल क्रमशः अनुलग्नक IV-टी या अनुलग्नक IV-V में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।
- झ) रेफरन्स हाइड्रोजन फ्यूल अनुलग्नक IV-डब्लयू में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।
- ञ) एचसीएनजी ईंधन अनुलग्नक IV-जेडई (आईएस:17314:2019) में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा।
- 7. उक्त नियमों में, नियम 115ए के उपनियम (9) के खंड (ग) में, नोट (xvi) के पश्चात् निम्नलिखित नोट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

- "(xvii) समर्पित सीएनजी / बायो-सीएनजी / एलएनजी / एलपीजी और दोहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी वाहनों, किट घटक सहित उनकी संस्थापना के लिए परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशानिर्देश समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 024, एआईएस 028 (संशोधन 1) के अनुसार होंगे, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है।
- (xviii) हाइड्रोजन ईंधन वाले आईसी इंजन/वाहन, किट घटक सहित उनकी संस्थापना के लिए परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशानिर्देश समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 195 ए के अनुसार होंगे, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है।
- 8. उक्त नियमों में, नियम 115ए के उपनियम (10) के खंड (ग) में, विद्यमान तालिका 1 के स्थान पर निम्नलिखित तालिका 1 प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

	तालिका 1					
			(सीईवी चरण	- IV)		
गैर-रोड स्थिर च	क्र (एनआरएससी	r) और गैर-ज	रोड क्षणिक चब्र	<mark>क (एनआरटीसी</mark> )	) परीक्षण चक्र वे	के लिए लागू उत्सर्जन
	-	-	सीमा।			
	कब से लागू	सीओ <sup>(1)</sup>	एचसी <sup>(1)</sup>	एनओएक्स	पीएम <sup>(1)</sup>	परीक्षण चक्र⁺
श्रेणी, किलोवाट		ग्राम/किल	ोवाट घंटा			
37≤पी<56	1 अक्टूबर	5.0	<b>4.7(ए</b> चसी∙	+एनओएक्स)	0.025 (2)	एनआरएससी और
56≤पी<130	2021	5.0	0.19	0.4	0.025	एनआरटीसी
130≤पी<560		3.5	0.19	0.4	0.025	

\*परीक्षण चक्र जैसा कि एआईएस-137 में वर्णित है और समय-समय पर संशोधित किया गया है।

- <sup>(1)</sup> हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन के लिए लागू नहीं। ऐसे इंजनों के मामले में जहां एचसी+एनओएक्स सीमाएँ निर्दिष्ट हैं, हाइड्रोजन आईसी इंजनों के लिए, सीमा केवल एनओएक्स उत्सर्जन पर होगी।
- (2) केवल सीआई इंजनों के लिए लागू
- 9. उक्त नियमों में, नियम 115ए के उपनियम (10) के खंड (ग) में, विद्यमान तालिका 2 के स्थान पर निम्नलिखित तालिका 2 प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

	तालिका 2 (सीईवी स्टेज - Ѵ)						
गैर-रोड स्थिर <sup>ः</sup>	चक्र (एनआरए	ससी) और गैर	-रोड क्षणिव	क <b>चक्र (एन</b> आर	रटीसी) परीक्ष	ण चक्र के लिए	लागू उत्सर्जन
	<b>&gt;</b>	0.200		मा।	_ <b>_</b>	_ <b>_</b>	
	कब से	सीओ <sup>(1)</sup>	एचसी <sup>(1)</sup>	एनओएक्स	पीएम <sup>(1)</sup>	पीएन <sup>(1)</sup>	परीक्षण चक्र
	लागू						
श्रेणी,		ग्राम/किलोव	ाट घंटा			#/किलोवाट	
किलोवाट						घंटा	
पी<8	1 अप्रैल	8.0	7.5 (	एचसी+	0.4 (2)		एनआरएससी
	2025		एन <sup>3</sup>	गेएक्स)			
8≤पी <19		6.6	7	'.5(	0.4(2)		
			एचसी+ए	एनओएक्स )			
19≤पी< 37		5.0	4	.7(	0.015(2)	1x10 <sup>12 (2)</sup>	एनआरएससी
		एचसी+एनओएक्स )					और
37≤पी<56		5.0				1x10 <sup>12 (2)</sup>	एनआरटीसी
			एचसी+ए	एनओएक्स )			

56≤पी<130		5.0	0.19	0.4	0.015	1x10 <sup>12</sup>	
130≤पी<560		3.5	0.19	0.4	0.015	1x10 <sup>12</sup>	
पी≥560		3.5	0.19	3.5	0.045		एनआरएससी
<sup>(1)</sup> हाइड्रोजन से न	<mark>वलने व</mark> ाले इंज	न के लिए लागृ	ाू नहीं। ऐसे इ	इंजनों के मामले	ने में जहां एच	सी+एनओएक्स	न सीमाएँ निर्दिष्ट
हैं, हाइड्रोजन आईसी इंजनों के लिए, सीमा केवल एनओएक्स उत्सर्जन पर होगी।							
(2) केवल सीआई इंजनों के लिए लागू							

10. उक्त नियमों में, नियम 115ए के उपनियम (10) के खंड (ग) में, मौजूदा टिप्पण (vi) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-:

"(vi) पी.आई.इंजनों के अलावा अन्य इंजनों के लिए दृश्यमान प्रदूषक (धूम्र) का उत्सर्जन, नियम 115 के उप-नियम (9) के अनुबंध-l में दिए गए प्रकाश अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त किए जाने पर धूम्र की सघनता के सीमा मूल्यों से अधिक नहीं होगा, जब इसे एआईएस 137 में निर्धारित और समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया के अनुसार अधिकतम गति पर पूर्ण भार पर इंजन डायनेमोमीटर पर परीक्षण किया जाता है।"

11. उक्त नियमों में, नियम 115ए के उपनियम (10) के खंड (ग) में, मौजूदा टिप्पण (xi) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-:

"(xi) तालिका 1 और 2 में उल्लिखित सीमाएं निम्नलिखित ईंधनों से चलने वाले इंजनों पर लागू होंगी: सीएनजी, बायो-सीएनजी, बायो-गैस, एलएनजी, एलपीजी, एचसीएनजी, डीजल (बी7), इथेनॉल (ईडी95), 100% तक बायो-डीजल मिश्रण, डीजल और सीएनजी, बायो-सीएनजी या एलएनजी से बने किसी भी ईंधन से चलने वाले हाइड्रोजन और दोहरे ईंधन वाले इंजन।"

उत्पादन के नमूना अनुमोदन और अनुरूपता के लिए, परीक्षण ईंधन रेफरेंस फ्यूल या वाणिज्यिक ईंधन होगा जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है।

(क) रेफरेंस प्राकृतिक गैस फ्यूल जिसे प्राकृतिक गैस या जैव-मीथेन मोनो ईंधन या द्वि-ईंधन यान में प्रयुक्त किया जाता है, अनुबंध- IV-एल (जी 20 और जी 25) के अनुसार होगा।

(ख) एलपीजी रेफरेंस फ्यूल जिसे एलपीजी मोनो-ईंधन या द्वि-ईंधन यान में इस्तेमाल किया जाता है, अनुबंध-IV-ड (ईंधन ए और ईंधन बी) के अनुसार होगा,

(ग) तथापि सीएनजी/एलपीजी के लिए रेफरेंस फ्यूल की अनुपलब्धता की स्थिति में, बीआईएस 15958:2000 के अनुसार व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सीएनजी और बीआईएस 14861:2000 के अनुसार एलपीजी को नमूना अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता के लिए उपयोग किया जाएगा।

(घ) इथेनॉल रेफरेंस फ्यूल (ईडी95) अनुबंध IV-आर में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(ङ) डीजल रेफरेंस फ्यूल (बी7) या वाणिज्यिक डीजल फ्यूल क्रमशः अनुबंध IV-टी या अनुबंध IV-वी में निर्दिष्ट अनुसार होगा।

(च) रेफरेंस बायोगैस फ्यूल (बायो-मीथेन) समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 16087:2013 के अनुसार होगा।

(छ) एलएनजी के मामले में, ईंधन अनुबंध IV-एलए में यथा प्रदत्त अपेक्षाओं के अनुसार होगा।

(ज) 7% तक बायोडीजल मिश्रण से चलने वाले वाहन/इंजन का परीक्षण डीजल (B7) या वाणिज्यिक रेफरेंस फ्यूल से किया जाएगा। 7% से अधिक बायोडीजल मिश्रण से चलने वाले वाहनों का परीक्षण संबंधित मिश्रणों से किया जाएगा। मिश्रणों में प्रयुक्त बायोडीजल समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 15607 के अनुसार होगा और मिश्रणों के लिए प्रयुक्त डीजल क्रमशः अनुबंध IV-टी या अनुबंध IV-वी में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(झ) हाइड्रोजन रेफरेंस फ्यूल अनुबंध IV-डबल्यू में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(ञ) एचसीएनजी ईंधन (फ्यूल) अनुबंध IV-जेडई (आईएस:17314:2019) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

12. उक्त नियमों में, नियम 115ए के उपनियम 10 में, टिप्पण (xvii) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-:

"(xviii) समर्पित सीएनजी/बायो-सीएनजी/एलएनजी/एलपीजी और दोहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी वाहनों, किट घटक सहित उनकी संस्थापना के लिए परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशानिर्देश समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 024, एआईएस 028 (संशोधन 1) के अनुसार होंगे, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।"

(xix) हाइड्रोजन ईंधन वाले आईसी इंजन/वाहन, किट घटक सहित उनकी संस्थापना के लिए परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशानिर्देश एआईएस समय-समय पर यथा संशोधित 195 ए के अनुसार होंगे, है, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत अधिसूचित नहीं किए जाते हैं।

		बंध IV-जेडई						
		ए (9) और (10) देखें						
	हाइड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी) - विनिर्देश							
क्र.सं. (1)	विशेषता	अपेक्षा	परीक्षण विधि					
	(2)	(3)	(4)					
i)	हाइड्रोजन (प्रतिशत मात्रा)	18.0±1.0	आईएस 15130 (पार्ट 3)					
ii)	मीथेन (प्रतिशत मात्रा), न्यूनतम	72.0						
iii)	अन्य हाइड्रोकार्बन (प्रतिशत मात्रा)							
	क) इथेन, अधिकतम	6.0	आईएस 15130 (पार्ट 3)					
	ख) सी3 और उच्चतर एचसी,	3.0						
	अधिकतम							
	ग) सी6 और उच्चतर एचसी,	0.5						
	अधिकतम							
	घ) कुल असंतृप्त एचसी,	0.5						
	अधिकतम							
iv)	अशुद्धियां							
	जल अवयव, एमजी/एम3,	5.0	आईएस 15641 (पार्ट 2)					
	अधिकतम							
	कुल सल्फर1), मिलीग्राम/एम3,	2.0	एएसटीएम डी3246					
	अधिकतम							
	ऑक्सीजन, प्रतिशत मात्रा,	0.5	आईएस 15130 (पार्ट 3)					
	अधिकतम							
	कार्बन डाइऑक्साइड और	3.5	आईएस 15130 (पार्ट 3)					
	नाइट्रोजन, प्रतिशत मात्रा,							
	अधिकतम							
	कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रतिशत	0.1	आईएस 15130 (पार्ट 3)					
	मोल, अधिकतम							
कुल सल्फर (ग	ांधक) में गंधयुक्त सल्फर की मात्रा शामि	ोल है						

13. उक्त नियमों में, नियम 115ए में, अनुबंध IV-जेडडी के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-:

> [फा. सं. आरटी-11028/22/2016 -एमवीएल] महमूद अहमद, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या ....., दिनांक ......के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या ...... दिनांकित ........ द्वारा संशोधित किए गए थे।

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

#### NOTIFICATION

#### New Delhi, the 28th April, 2025

**G.S.R. 269(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

#### **Draft Rules**

- 1. Short title and commencement. (1) these rules may be called as the Central Motor Vehicles (......... Amendment) Rules, 2025.
  - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), rule 115A, substitute following title for existing title, namely: -
  - "115A. Emission of Smoke and vapour from agricultural tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combined harvesters driven by Internal Combustion Engines.
- 3. In the said rules, in rule 115A, in sub-rule (9), in clause (c), for existing Table 1, following Table 1 shall be substituted namely: -

Applicable emissi	Table 1 (TREM Stage IV)         Applicable emission limit for Non-Road Steady Cycle (NRSC) and Non-Road Transient Cycle (NRTC) test cycle.					
	Applicable with effect	CO <sup>(1)</sup>	HC <sup>(1)</sup>	NOx	PM <sup>(1)</sup>	Test cycle*
Category, kW	from		g/k	Wh		
37≤P<56	d st T	5.0	4.7(HC	C+NOx)	0.025 (2)	
56≤P<130	1 <sup>st</sup> January 2023	5.0 0.19 0.4 0.02				NRSC and NRTC
130≤P<560		3.5	0.19	0.4	0.025	

\*Test cycle as described in AIS-137 and as amended from time to time.

<sup>(1)</sup> Not applicable for engine fuelled with Hydrogen. In case of engines where HC+NOx limits are specified, for Hydrogen IC engines, the limit shall be only on NOx emissions.

<sup>(2)</sup> Applicable for CI engines only

4. In the said rules, in rule 115A, in sub-rule (9), in clause (c), for the existing Table 2 the following Table 2 shall be substituted, namely. -

	Table 2       (TREM Stage – V)						
Applicable emi	ssion limit for	Non-Roa	•	Cycle (NF est cycle.	RSC) and No	on-Road Trai	nsient Cycle (NRTC)
	Applicable with effect from	CO <sup>(1)</sup>	HC <sup>(1)</sup>	NOx	<b>PM</b> <sup>(1)</sup>	<b>PN</b> <sup>(1)</sup>	Test cycle
Category, kW		g/kWh			•	#/kWh	
P<8		8.0	7.5 (H	Ic+NOx)	0.4 (2)		NDCC
8≤P <19	-	6.6	7.5(H	C+NOx)	0.4(2)		NRSC
19≤P< 37	1 St. A	5.0	4.7(H	C+NOx)	0.015(2)	$1 x 10^{12} (2)$	
37≤P<56	1 <sup>st</sup> April	5.0	4.7(H	C+NOx)	0.015(2)	$1 x 10^{12} (2)$	
56≤P<130	2026	5.0	0.19	0.4	0.015	1x10 <sup>12</sup>	NRSC and NRTC
130≤P<560		3.5	0.19	0.4	0.015	$1x10^{12}$	
P≥560	-	3.5	0.19	3.5	0.045		NRSC
<ul> <li><sup>(1)</sup> Not applicable for engine fuelled with Hydrogen. In case of engines where HC+NOx limits are specified, for Hydrogen IC engines, the limit shall be only on NOx emissions.</li> <li><sup>(2)</sup> Applicable for CI engines only</li> </ul>							

- 5. In the said rules, in rule 115A, in sub-rule (9), in clause (c), the existing note (v) shall be replaced with following text, namely: -
  - "(v) The emission of visible pollutant (smoke) for engines other than P.I. engines shall not exceed the limit values of smoke density when expressed as light absorption coefficients as given in Annexure -I of subrule (9) of rule 115, when tested on engine dynamometer at full load at six speeds as per procedure laid down in AIS137 and as amended from time to time."
- 6. In the said rules, in rule 115A, in sub-rule (9), in clause (c), the existing note (x) shall be replaced with following text, namely: -
  - "(x) The limits as mentioned in Table 1 and 2 shall be applicable for engines fuelled by following fuels: CNG, Bio-CNG, Bio-Gas, LNG, LPG, HCNG, Diesel (B7), Ethanol (ED95), Bio-diesel blends up to 100%, hydrogen and dual fuelled engines driven by Diesel and any fuel out of CNG, Bio-CNG or LNG.

For type approval and conformity of production, the test fuel shall be reference fuel or commercial fuel as specified below;

- a) Reference Natural Gas fuel used in Natural Gas or Bio-Methane mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-L (G20, G23 and G25).
- b) Reference LPG fuel used in LPG mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-M (Fuel A and Fuel B).
- c) However, in case of non-availability of reference fuels for CNG / LPG, the commercially available CNG as per BIS 15958: 2012 and LPG as per BIS 14861:2000, as amended from time to time, shall be used for the purpose of Type Approval and Conformity of Production.
- d) The Reference Ethanol fuel (ED95) shall be as specified in Annexure IV-R.
- e) The Reference Diesel fuel (B7) or Commercial Diesel fuel shall be as specified in Annexure IV-T or Annexure IV-V respectively.
- f) The reference fuel Biogas (Bio-methane) shall be as per IS 16087:2013, as amended time to time.
- g) In case of LNG, fuel shall comply with the requirements as provided in Annexure IV- LA
- h) The vehicle/ engine fuelled with biodiesel blends up to 7% shall be tested with reference diesel (B7) or commercial fuel. Vehicles fuelled with biodiesel blends above 7%, shall be tested with respective blends. Biodiesel used in blends shall be as per IS 15607 as amended from time to time and the diesel used for blends shall be as specified in Annexure IV-T or Annexure IV-V respectively.
- i) The reference Hydrogen Fuel shall be as specified in the Annexure IV-W.
- j) The HCNG fuel shall be as specified in Annexure IV- ZE (IS:17314: 2019).
- 7. In the said rules, in rule 115A, in sub-rule (9), in clause (c), the following notes shall be inserted after note (xvi), namely: -
  - "(xvii) Test procedure and safety guidelines for dedicated CNG / Bio-CNG / LNG / LPG and dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG vehicles, kit component including installation thereof shall be as per AIS 024, AIS 028 (Rev.1) as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard (BIS) Act,2016 (11 of 2016).
  - (xviii) Test procedure and safety guidelines for Hydrogen fuelled IC engines / vehicles, kit component including installation thereof shall be as per AIS 195 A, as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard (BIS) Act,2016 (11 of 2016)"

8. In the said rules, in rule 115A, in sub-rule (10), in clause (c), for existing Table 1, following Table 1 shall be substituted namely: -

Applicable emis	Table 1 (CEV Stage - IV)           Applicable emission limit for Non-Road Steady Cycle (NRSC) and Non-Road Transient Cycle (NRTC)					
			test cycle			
	Applicable with effect from     CO <sup>(1)</sup> HC <sup>(1)</sup> NOx     PM <sup>(1)</sup> Test cycle*					
Category, kW		g/kWh				
37≤P<56	1 <sup>st</sup> October	5.0	5.0 4.7(HC+NOx) 0.025 <sup>(2)</sup>			NRSC and NRTC
56≤P<130	2021	5.0	0.19			
130≤P<560		3.5	0.19	0.4	0.025	

\* Test cycle as described in AIS-137 and as amended from time to time.

- <sup>(1)</sup> Not applicable for engine fuelled with Hydrogen. In case of engines where HC+NOx limits are specified, for Hydrogen IC engines, the limit shall be only on NOx emissions.
- <sup>(2)</sup> Applicable for CI engines only
- 9. In the said rules, in rule 115A, in sub-rule (10), in clause (c), for existing Table 2, following Table 2 shall be substituted namely: -

	Table 2       (CEV Stage - V)						
Applicable en	nission limit for N	Non-Road S	• •	cle (NRS) cycle.	C) and Non-	Road Transien	t Cycle (NRTC)
	Applicable with effect from	CO <sup>(1)</sup>	HC <sup>(1)</sup>	NOx	<b>PM</b> <sup>(1)</sup>	<b>PN</b> <sup>(1)</sup>	Test cycle
Category, kW		g/kWh				#/kWh	
P<8	1 <sup>st</sup> April 2025	8.0	7.5 (Hc	+NOx)	0.4 (2)		NRSC
8≤P <19		6.6	7.5(HC	+NOx)	0.4(2)		
19≤P< 37		5.0	4.7(HC	+NOx)	0.015 <sup>(2)</sup>	$1 x 10^{12} (2)$	NRSC and
37≤P<56		5.0	4.7(HC	+NOx)	0.015 <sup>(2)</sup>	$1 x 10^{12} (2)$	NRTC
56≤P<130		5.0	0.19	0.4	0.015	1x10 <sup>12</sup>	
130≤P<560		3.5	0.19	0.4	0.015	$1 x 10^{12}$	
P≥560		3.5	0.19	3.5	0.045		NRSC
11	(1) Not applicable for engine fuelled with Hydrogen. In case of engines where HC+NOx limits are specified, for Hydrogen IC engines, the limit shall be only on NOx emissions.						

<sup>(2)</sup> Applicable for CI engines only

- 10. In the said rules, in rule 115A, in sub-rule (10), in clause (c), the existing note (vi) shall be replaced with following text, namely: -
  - "(vi) The emission of visible pollutant (smoke) for engines other than P.I. engines shall not exceed the limit values of smoke density when expressed as light absorption coefficients as given in Annexure -I of subrule (9) of rule 115, when tested on engine dynamometer at full load at six speeds as per procedure laid down in AIS137 and as amended from time to time."
- 11. In the said rules, in rule 115A, in sub-rule (10), in clause (c), the existing note (xi) shall be replaced with following text, namely: -
  - "(xi) The limits as mentioned in Table 1 and 2 shall be applicable for engines fuelled by following fuels: CNG, Bio-CNG, Bio-Gas, LNG, LPG, HCNG, Diesel (B7), Ethanol (ED95), Bio-diesel blends up to 100%, hydrogen and dual fuelled engines driven by Diesel and any fuel out of CNG, Bio-CNG or LNG."

For type approval and conformity of production, the test fuel shall be reference fuel or commercial fuel as specified below

- a) Reference Natural Gas fuel used in Natural Gas or Bio-Methane mono-fuel, or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-L (G20, G23 and G25).
- b) Reference LPG fuel used in LPG mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-M (Fuel A and Fuel B).

- c) However, in case of non-availability of reference fuels for CNG / LPG, the commercially available CNG as per BIS 15958: 2012 and LPG as per BIS 14861:2000, as amended from time to time, shall be used for the purpose of Type Approval and Conformity of Production.
- d) The Reference Ethanol fuel (ED95) shall be as specified in Annexure IV-R.
- e) The Reference Diesel fuel (B7) OR Commercial Diesel fuel shall be as specified in Annexure IV-T or Annexure IV-V respectively.
- f) The reference fuel Biogas (Bio-methane) shall be as per IS 16087:2013, as amended time to time.
- g) In case of LNG, fuel shall comply with the requirements as provided in Annexure IV- LA.
- h) The vehicle/ engine fuelled with biodiesel blends up to 7% shall be tested with reference diesel (B7) or commercial fuel. Vehicles fuelled with biodiesel blends above 7%, shall be tested with respective blends. Biodiesel used in blends shall be as per IS 15607 as amended from time to time and the diesel used for blends shall be as specified in Annexure IV-T or Annexure IV-V respectively.
- i) The reference Hydrogen Fuel shall be as specified in the Annexure IV-W.
- j) The HCNG fuel shall be as specified in Annexure IV- ZE (IS:17314: 2019).
- 12. In the said rules, in rule 115A, sub-rule 10, the following note shall be inserted after note (xvii), namely: -"(xviii) Test procedure and safety guidelines for dedicated CNG / Bio-CNG / LNG / LPG and dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG vehicles, kit component including installation thereof shall be as per AIS 024, AIS 028 (Rev.1) as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specification are notified under the Bureau of Indian Standard (BIS) Act,2016 (11 of 2016)"
  - (xix) Test procedure and safety guidelines for Hydrogen fuelled IC engines / vehicles, kit component including installation thereof shall be as per AIS 195 A, as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard (BIS) Act,2016 (11 of 2016)"

13. In the said rules, in rule 115A, after Annexure IV- ZD, the following Annexure shall be inserted, namely: -

		EXURE IV-ZE								
	[See rule 115 A (9) and (10)]									
C N	Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) - Specification									
Sr. No.	Characteristic	Requirement	Test Method							
(1)	(2)	(3)	(4)							
i)	Hydrogen (percent volume)	18.0±1.0	IS 15130 (Part 3)							
ii)	Methane (percent volume), Min	72.0								
iii)	Other Hydrocarbons (percent									
	volume)									
	a) Ethane, Max	6.0	IS 15130 (Part 3)							
	b) $C_3$ and higher HC, Max	3.0								
	c) $C_6$ and higher HC, Max	0.5								
	d) Total unsaturated HC, Max	0.5								
iv)	Impurities									
	Water content, mg/m <sup>3</sup> , Max	5.0	IS 15641 (Part 2)							
	Total sulphur <sup>1</sup> , mg/m <sup>3</sup> , Max	2.0	ASTM D3246							
	Oxygen, percent volume, Max	0.5	IS 15130 (Part 3)							
	Carbon dioxide and Nitrogen,	3.5	IS 15130 (Part 3)							
	percent volume, Max									
	Carbon monoxide, percent mole,	0.1	IS 15130 (Part 3)							
	Max									
Total sulphur	includes the sulphur content of odora	ant								

[F. No. RT-11028/22/2016-MVL]

MAHMOOD AHMED, Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number ....., dated the ..... and last amended vide notification number ......

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.